



Neutral Citation No - 2026:AHC:28936

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 154

अनिल कुमार पाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कमलाकर पाल, शिशिर मेहरोत्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शिवेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलाकर पाल के पक्षसार धारक श्री राजेश शर्मा (ए.ओ.आर. संख्या ए/आर 0400/2012), राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की व्यथा यह है कि उसका दावा है कि उसे जीप चालक के रूप में नियोजित किया गया था। वह नियमितीकरण की प्रार्थना करता है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह कथन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथमतः प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है।

4. न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को यह निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 यह पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को सम्यक सूचना देने के उपरान्त सुसंगत अभिलेख उस प्राधिकारी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"